10. Decisions on questions before the Advisory Committee.—(1) The advice tendered by the Advisory Committee shall be adopted, and in the event of any difference of opinion amongst the members, the matter shall be put to vote and decided by a simple majority of the members present.

(2) The Appropriate authority shall not have a right to vote.

(3) In the event of tie in votes, the Chairman or in his absence, the member presiding shall have a second or casting vote.

(4) The fact of any question having been decided by the process of voting instead of by adoption, shall be recorded in the minute of that meeting of the Advisory Committee.

11. Vacancies etc., not to invalidate proceedings of the Advisory Committees.—No meeting or proceeding of the Advisory Committee shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of the Advisory Committee; or

(b) any defect in the appointment of a person to be a member of the Advisory Committee; or

(c) any irregularity in the procedure adopted by the Advisory Committee not affecting the merits of the case.

12. Record of proceedings of the Advisory Committee.— One set of the agenda, notes on agenda, supporting documents and minutes of every meeting of the Advisory Committee shall be authenticated by the signature of the Chairman or in his absence by the signature of the member presiding, and preserved by the Appropriate Authority as permanent records.

नर्सेज ट्रेनिंग-रिकोगनिशन, एफिलियेशन एवं कंडक्ट आफ एक्जामिनेशन्स आफ स्कूल आफ नर्सिंग रूल्स, 1997

बिहार सरकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं प०क० विभाग, अधिसूचना, सं०-6/विविध-1-056/95 961(6), पटना, दिनांक 14.7.97.—बिहार एवं उड़ीसा नर्सेज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1935 की भाग 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा "रिकोगनिशन, एफिलिएशन एण्ड कन्डट ऑफ इक्जामिनेशनस ऑफ नर्सिंग रूल्स 1993 "को अवक्रमित करते हुए निम्नांकित नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया है:

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक, विवरण एवं प्रारम्भ–इन नियमों को "नर्सेज ट्रेनिंग-रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स 1997" कहा जाएगा।

(क) यह पूरे बिहार राज्य सीमा में लागू होगा।

(ख) यह दिनांक 1.01.1996 के प्रभाव से प्रभावी होगा।

2. परिभाषा:–इन नियमों में जबतक विषय या संदर्भ में कोई चीज प्रतिकूल न हो:–

(1) "अधिनियम" (ऐक्ट) का तात्पर्य बिहार एवं उड़ीसा नर्सेज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1935.

(2) "सबंद्धता" (एफिलियेशन) का तात्पर्य है बिहार परिचारिका निबंधन परिषद द्वारा स्वीकृत संबद्धता।

(3) "परिषद" का तात्पर्य है. अधिनियम-3 के अन्तर्गत गठित बिहार परिचारिका निबंधन परिषद।

(4) "निदेशक प्रमुख" का तात्पर्य है, विभागाध्यक्ष, निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं (अधिनियम के अन्तर्गत मूलतः (मूल में) "असैनिक अस्पताल के महानिरीक्षक के रूप में पदनामित"।

(5) "सरकार' का तात्पर्य है बिहार राज्य सरकार।

(6) "भारतीय उपचर्या परिषद" का तात्पर्य है भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम 1917 के अन्तर्गत। गठित उपचर्या परिषद।

(7) "उपचर्या प्रशिक्षण" (नर्सेज ट्रेनिंग) का तात्पर्य है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में दिये जानेवाले प्रशिक्षण जो किसी नाम से जाना जाय यथा ए०एन०एम०, जी०एन०एम०, एल०एच०भी०, नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन पाठचर्या"

(कोर्स) में स्नातक विज्ञान जन स्वास्थ्य परिचारिका पाठचर्या (कोर्स) में स्नातक विज्ञान जन स्वास्थ्य परिचारिका पाठचर्या (कोर्स) में डिप्लोमा एवं उपचर्या शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा एवं इसी प्रकार के अन्य विषयों में दिये जानेवाले सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान।

(8) "अनुमति" (परमिशन) का तात्पर्य है. सरकार द्वारा किसी संस्थान को नर्सेज ट्रेनिंग प्रारम्भ करने की अनुमति।

(9) "अध्यक्ष" का तात्पर्य है अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित परिषद का अध्यक्ष।

.0) "मान्यता" (रिकोगनिशन) का तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मान्यता।

"1) "उपचर्या विद्यालय" (स्कूल नर्सिग) का तात्पर्य है. एक संस्थान जो उपचर्या प्रशिक्षण देती है।

उपचर्या प्रशिक्षण हेतु किसी संस्थान की स्थापना एवं व्यवस्था की शक्तिः–इस नियमावली में निहित प्रावधान ,कसी व्यक्ति या संस्थान वगैर पूर्व अनुमति, मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त किये उपचर्या प्रशिक्षण (नर्सेज ट्रेनिंग) संबंधी न की स्थापना अथवा व्यवस्था नहीं करेगी।

निजी उपचर्या विद्यालय की अनुमति, मान्यता हेतु व्यवस्था एवं अर्हता का स्वरूपः–I. किसी भी संस्थान को धालय प्रारम्भ करने की अनुमति तबतक प्रदान नहीं की जायेगी जबतक कि वह किसी उपचर्या विद्यालय की स्थापना उपचर्या परिषद के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम एवं नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम शर्तों/आवश्यकताओं यथा र्मी, भौतिक सुविधायें, चिकित्सकीय सुविधायें, छात्रावासीय सुविधाएं, अस्पताल सुविधाएं आदि को पूरा करता हो।

अनुमतिः-

संबंधित संस्थान/संगठन को उपचर्या विद्यालय प्रारंभ करने की सरकार से अनुमति की स्वीकृति हेतु एक आवेदन न सहित निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के समक्ष प्रस्तुत करना होगाः-

(1) प्रस्तावित एवं उपलब्ध भौतिक सुविधाएं (विस्तृत में)।

(2) वित्त की उपलब्धता

(3) निम्नवत् बचनबद्धता किः–

(क) संस्थान की स्थापना एवं संचालन निजी लाभ हेतु नहीं की जाएगी।

(ख) सरकार को संस्थान के प्रबंधन या अधिशासी निकाय में या उसके नियमावली (संविधान) में किसी तरह के परिवर्तन को तुरंत संसूचित करेगी।

(ग) सभी प्रकार के शुल्क या चंदा (दान) या अन्य श्रोतों से एकत्रित राशि का संबंधित उपचर्या विद्यालय के कोष में जमा किया जायेगा एवं वह राजस्व विद्यालय का अंगस्वरूप होगा एवं वह निश्चित रूप से संबधित उपचर्या विद्यालय के दो सदस्यों द्वारा संचालित होगा।

(घ) सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में एवं किसी भी समय में सरकार द्वारा निर्धारित वर्षिक वैचवार नामांकन की संख्या में वृद्धि नहीं की जायेगी।

(ङ) भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत पूर्वनिर्दिष्ट मानक एवं इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सभी निर्देश लागू रहेंगी।

(च) सरकार को यह अधिकार है कि

1. संस्थान के प्रबंधन समिति अथवा अधिशासी निकाय में तीन सदस्यों, जो सिविल सर्जन स्तर के नीचे के न होंगे का मनोनयन करेगी।
2. संस्थान के शैक्षणिक समिति ही विभाग में कार्य का निर्धारण करेगी।
3. नामांकन हेतु प्रत्येक वर्ष या बैच में छात्राओं की संख्या का निधरिण उनके चयन की प्रक्रिया, उसके शुल्क निर्धारण एवं संबंधित संस्थान में निर्धारित वार्षिक नामांकन की संख्या में वृद्धि के लिए दण्ड की व्यवस्था का निर्धारण करेगी।

(छ) सरकार अथवा भारत सरकार से अनुदान हेतु दावा नहीं करेगी।

अनुमति की स्वीकृति प्रदान करने के प्रसंग में निम्नवत् को विचार करेगीः-

चालू उपचर्या विद्यालयों की उपलब्धता एवं आगे की नये विद्यालयों की आवश्यकता।

IV. सम्बद्धता:-

(क) अनुमति/मान्यता की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही संबंधित संस्थान को परिषद् अथवा संबं विश्वविद्यालय, यदि हो, से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा।

(ख) परिषद् प्रसंगाधीन विशेषज्ञ समिति द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सम्बद्धता प्रदान करेगी।

5. सामान्य परिचारिका मिडवाईफरी/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता/महिला परिदर्शिका पाठ्यक्रम में नामांकन र संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन एवं उसमें भाग लेने हेतु अर्हताएं:- (i) मान्यता एवं संबंद्धता प्राप्त सरक परिचारिका विद्यालयों में सामान्य परिचारिका एवं मिडवाईफरी/महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता पाठ्यच (कोर्स) में नामांकन हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता आदि प्राप्त छात्राओं की परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना द्वा आयोजित राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों का नामांकन उनकी मेधा सह इच्छा तथा सरक द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(ii) मान्यता एवं संबंद्धता प्राप्त निजी एवं गैर सरकारी उपचर्या विद्यालयों में कुल स्वीकृत सीटों की संख्या के विरू पचास प्रतिशत सीटों पर उपर्युक्त उप नियमावली (i) में निहित प्रावधानों के अनुसार नामांकन किया जायगा। शेष पचास प्रतिश सीटों के विरूद्ध संबंधित उपचर्या विद्यालय द्वारा अपने स्तर से आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों र उनकी मेधा सूची के अनुसार भरा जायेगा।

(iii) सरकारी एवं निजी दोनों, प्रशिक्षण विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत समय-समय पर सरकारी नियमों के अनुसा परिवर्तित होगा।

(iv) परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा का कार्यक्रम/केन्द्र, परीक्षा की तिथियों, प्रश्न निर्धारकों के पैनल, प्रश्न-पत्रों के चयन, परीक्षा संचालन एवं अन्य आकस्मिक मामलों के विषय में निर्णय लेंगे।

(ख) संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति:

(i) भारत वर्ष का नागरिक हो।

(ii) जिस वर्ष परीक्षा होनी है उस कैलेन्डर वर्ष के प्रथम दिन सत्रह वर्ष का होना चाहिए और उसी दिन तीस वर्ष का उम्र से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(iii) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड, काउंसिल अथवा विद्यालय से जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी के अनिवार्य विषय सहित (10+2) अथवा इन्टरमिडिएट (विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ग) बिहार राज्य का जन्म से निवासी हो या स्थायी निवासी हो या दस वर्षों से बिहार में रह रहा हो या ऐसे व्यक्ति की पुत्री या आश्रिता हो, जो बिहार में दस वर्षों से रह रहा हो।

6. प्रवेश परीक्षा का स्वरूप, स्तर एवं विषय:- (क) जी०एन०एम०/एल०एच०भी०/ ए०न०एम० का पाठ्यचर्या (कोर्स) में प्रवेश परीक्षा का स्तर अंग्रेजी एवं जीव विज्ञान के अनिवार्य विषय सहित इंटरमीडिएट (10+2) होगा।

(ख) परीक्षा के विषय निम्नवत् होंगे।

(i) प्रथम पत्र: फिजिक्स (भौतिकी), केमिस्ट्री (रसायन शास्त्र), बायोलॉजी (जीव विज्ञान)- 300 अंक।

(ii) द्वितीय पत्र अंग्रेजी, हिन्दी, सामान्य ज्ञान- 150 अंक।

(ग) संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रश्न अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव) अथवा संक्षिप्त उत्तर तरीके का होगा।

(ख) प्रशिक्षित परिचारिकाओं की उपलब्धता एवं आगे की आवश्यकता

(ग) एवं इसकी प्रकार के अन्य विचारणीय विन्दुओं, जो अनुमति प्रदान करने हेतु उचित एवं योग्य होगा।

III. मान्यता:-

(क) वैसे संस्थान, जो सरकार के पूर्व अनुमति के वगैर चलाये जा रहे हों तथापि कि वे परिषद से सबंद्धता अथवा मान्यता प्राप्त हों, को विहित प्रपत्र में निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार पटना के समक्ष आवश्यक परियोजना प्रतिवेदन, आय व्ययक विवरणी, नियमावली (संविधान) एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख तथा निदेशक प्रमुख के द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित शुल्क के साथ, इस नियमावली के प्रकाशित होने की तिथि के दो माह के भीतर सरकार से मान्यता प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(ख) निजी उपचर्या प्रशिक्षण विद्यालय प्रारम्भ करने संबंधी नये प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से मान्यता की स्वीकृति हेतु तथापि कि उन्हें इस नियमावली के नियम 4(II) (अ) में निहित प्रावधनों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गयी हो, सरकार

के समक्ष संबंधित अधिकारी /संगठन/संस्थान, परियोजना प्रतिवेदन, नियमावली (संविधान), अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं अभिलेखों तथा आवश्यक शुल्क, जो समय-समय पर निदेशक प्रमुख द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, सहित विहित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(ग) सरकार ऐसे प्रत्येक आवेदन का परीक्षण करने के उपरान्त मान्यता हेतु उक्त संस्थान का निरीक्षण एक विशेषज्ञ समिति, जो निम्नवत गठित होगी, से करायेगी:-

(i) निदेशालय स्तर के एक पदाधिकारी, जो उप निदेशक स्तर से नीचे का न होगा–अध्यक्ष

(ii) स्त्री एवं प्रसूति रोग का एक विशेषज्ञ, जो सह प्राध्यापक स्तर से नीचे का न होगा

(iii) दो विशेषज्ञ, जो सरकारी उपचर्या प्रशिक्षण विद्यालय की शिक्षिकाएँ प्रत्येक उपचर्या प्रशिक्षण सह प्रशासन एवं जन स्वास्थ्य परिचारिका पाठचर्या की होंगी।

(2) विशेषज्ञ समिति संयुक्त रूप से प्रस्तावित संस्थान में जाकर मान्यता की स्वीकृति अथवा उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दो माह के भीतर निरीक्षण करेगी।

(3) विशेषज्ञ समिति निरीक्षण की तिथि के एक पक्ष के भीतर भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं नियमावली में निहित शर्तो के अनुसार उक्त संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में एक संयुक्त प्रतिवेदन निदेशक प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(घ) विशेषज्ञ समिति से संस्थान का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त छः माह के भीतर सम्यक विचारोपरानत सरकार मान्यता की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेगी।

(च) यदि संबंधित उपचर्या प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इस नियमावली में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन नहीं प्रस्तुत किया जाता है अथवा उन्हें मान्यता प्रदान करने से इन्कार किया जाता है एवं इसके बावजूद उनके द्वारा उक्त उपचर्या प्रशिक्षण चालू रखा जाता है, तो यह माना जायेगा कि उनके द्वारा इन नियमों का उल्लघंन किया गया है और वे स्थापित नियमों के अधीन दंडित किए जा सकेंगे। निदेशक प्रमुख को आवश्यकतानुसार ऐसे प्रशिक्षण संस्थान को बंद करने के लिए बल प्रयोग करने की शक्ति प्रदत्त होगी।

(छ) सरकारी अनुमति/मान्यता से स्थापित ऐसे संस्थानों का इस नियमावली के नियम-(ग) (सी) में निहित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर अथवा उसके पूर्व यदि सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा, निरीक्षण कराया जायेगा। विशेषज्ञ समिति से निरीक्षण का शुल्क, जो निदेशक प्रमुख द्वारा समय-समय पर निर्धारित होंगे संबंधित उपचर्या (परिचारिका) प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

●

THE INDIAN NURSING COUNCIL ACT, 1947

(Act No. 48 of 1961)[1]

[31st December, 1947.]

An Act to constitute an Indian Nursing Council.

Whereas it is expedient to constitute an Indian Nursing Council in order to establish a uniform standard of training for nurses, midwives and health visitors;

Statement of Objects and Reasons

Provincial Nursing Councils have been established in all Provinces and maintain registers of qualified nurses, visitors and midwives. Increasing difficulties have been experienced by the nursing profession and by employing authorities owing to the diversity in the standards of preliminary education of candidates entering training schools of nursing, the varying standards of training and examination for nursing certificates and the lack of inter-provincial reciprocity in the registration of nurses. To remedy these difficulties it is proposed to enact legislation for the purpose of setting up an Indian Nursing Council which will prescribe uniform minimum standards

---

The Act has been extended to Dadra and Nagar Haveli by Reg. 6 of 1963, s. 2 and Sch. I; Pondicherry by Reg. 7 of 1963, s. 3 and Sch. I and Goa, Daman and Diu by Reg. 11 of 1963, s. 3 and Sch.